न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 89/10

नन्दकंवरी पुत्री माधोलाल जी पत्नी रामगोपाल जी जाति मीणा निवासी चींसा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र औंकार लाल जाति मीणा ।
2. धन्नालाल पुत्र रामकरण जाति मीणा ।
3. रामकरण पुत्र रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. सोहन लाल पुत्र स्व0 रामकरण ।
   3/2. धन्ना लाल पुत्र स्व0 रामकरण ।
   3/3. छोटूलाल पुत्र स्व0 रामकरण ।
   3/4. गोपाली बाई बेवा स्व0 रामकरण निवासीगण ग्राम फौलाई खुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 24.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.03.2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पोलाई खुर्द तहसील दीगोद में प्रतिवादी कम 1 व प्रतिवादी कम 3 व उसके भ्राता श्रीकृष्ण के शामलाती खाते में पुराना खसरा नम्बर 13/1 की 04 बीघा भूमि अन्य भूमियों के साथ दर्ज चली आ रही है । खातेदारान की आपसी सहमति व पारिवारिक समझौते के आधार पर प्रतिवादी कम 1 ने उक्त खसरा नम्बर 13/1 की 04 बीघा भूमि वादिनी के

पिता को दिनांक 21.09.1978 को बेचान कर दी तथा तथा वादिनी के पिता माधो जी को कब्जा संभला दिया । वादिनी का अपने पिता के समय से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे प्रतिवादी क्रम 1 की खातेदारी उक्त भूमि पर धारा 63 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से समाप्त हो चुकी है । वादिनी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर स्वतः ही खातेदार काश्तकार घोषित होने की अधिकारी है ।

3. अतः वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादनिी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे वादग्रस्त आराजी का रकबा पूर्ण करते हुए भूमि प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड से हटायी जाकर वादिनी के खाते दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वह वादिनी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें तथा शांतिपूर्वक वादिनी को काश्त करने दे उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें और न ही उक्त भूमि को किसी प्रकार से रहन, बेचान अन्तरण व खुर्द–बुर्द करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.03.2010 के द्वारा वादिनी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.03.2010 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिनी अपीलान्ट के पिता माधोलाल ने उक्त वादग्रस्त आराजी जरिये इकरारनामा दिनांक 21.09.1978 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था और तब से उक्त भूमि पर अपीलान्ट का रेस्पोडेन्ट की जानकारी में बिना किसी व्यवधान के लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है । अपीलान्ट उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी हो गई है । वादिनी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कर दिया था कि उक्त भूमि पर वादिनी का कब्जा काश्त चला आ रहा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी का वाद खारिज कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.03.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादिनी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था और कथन किया था कि प्रतिवादी क्रम 1 ने वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता माधो को बेचान कर कब्जा संभला दिया था परन्तु रजिस्ट्री अपीलान्ट के पिता के पक्ष में नहीं करवायी जिसके कारण आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज चली आ रही है जिसका नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं और अपीलान्ट के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं और उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द करने के प्रयास में हैं जिनका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादिनी अपीलान्ट को

खातेदार कृषक घोषित किया जावे और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । अपीलान्ट ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है इसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा न तो कोई जवाबदावा पेश किया और न ही कोई साक्ष्य पेश की न ही दावे को कन्टेस्ट किया जिससे उक्त दावा डिक्री होने योग्य था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी का दावा खारिज कर दिया । 29 वर्षों से अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है रेस्पोडेन्ट के वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं । धारा 92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलान्ट के कब्जे को संरक्षित रखने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.03.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादिनी अपीलान्ट प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना चाहती है जबकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत से दावा वादिनी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.03.2010 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी अपीलान्ट के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया और यह कथन किया है कि अन्य खातेदारों की सहमति से प्रतिवादी क्रम 1 ने खसरा नम्बर 13/1 की रकबा 04 बीघा भूमि वादिनी के पिता को 1978 में बेचान कर कब्जा संभला दिया था परन्तु रजिस्ट्री वादिनी के पिता के पक्ष में नहीं करवायी । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादिनी खातेदार घोषित होने की अधिकारिनी है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई और अपीलाधीन निर्णय से दावा वादी खारिज किया गया है ।

10. वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल जमाबन्दी धन्ना लाल, रामकरण एवं नन्दकिशोर के संयुक्त खाते में दर्ज है । पत्रावली पर एक तहरीर की फोटो प्रति संलग्न की गई है जो कि न तो पंजीकृत है ओर न ही पूर्ण मुद्रांकित है । अचल सम्पत्ति जिसका मूल्य 100/– रूपये से अधिक होता है उसका अन्तरण बिना पंजीकृत दस्तावेज से नहीं हो सकता है और न ही कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जा सकते हैं ।

11. अपीलान्ट के विद्धान् अभिभाषक ने दौराने बहस धारा 92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कब्जे को संरक्षित रखने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की है परन्तु माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच के निर्णय और माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान खण्ड पीठ, जयपुर के निर्णय के अनुसार कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादिनी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है । धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थायी निषेधाज्ञा खातेदार के पक्ष में ही जारी की जा सकती है । वादिनी वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी घोषित होने की अधिकारी नहीं हैं । इस कारण इनके पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी नहीं की जा सकती ।

2. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से दावा वादिनी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 03.03.2010 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 24.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 89/10

नन्दकंवरी पुत्री माधोलाल जी पत्नी रामगोपाल जी जाति मीणा निवासी चींसा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र औंकार लाल जाति मीणा ।
2. धन्नालाल पुत्र रामकरण जाति मीणा ।
3. रामकरण पुत्र रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. सोहन लाल पुत्र स्व0 रामकरण ।
   3/2. धन्ना लाल पुत्र स्व0 रामकरण ।
   3/3. छोटूलाल पुत्र स्व0 रामकरण ।
   3/4. गोपाली बाई बेवा स्व0 रामकरण निवासीगण ग्राम फौलाई खुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.03.2010 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 114/दावा/2007

नन्दकंवरी पुत्री माधोलाल जी पत्नी रामगोपाल जी जाति मीणा निवासी चींसा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र औंकार लाल जाति मीणा ।
2. धन्नालाल पुत्र रामकरण जाति मीणा ।
3. रामकरण पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2010 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 24.04.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 03.03.2010 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 24.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

24/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा